हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 10 अंक : 10 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 अक्टूबर, 2019

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

आरक्षण के लुटेरों पर संवैधानिक वार

सरकारी नौकरी प्राप्त आरक्षित कर्मचारियों को आरक्षण से वंचित किया जाए : समता आन्दोलन

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश एवं आयोगों को लिखा पत्र

जयपुर, 12 अक्टूबर। समता आन्दोलन समिति ने राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि सरकारी नौकरी प्राप्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारियो को सामान्य नागरिक मानते हुए अनुच्छेद 15 एवं 16 में आरक्षण से वंचित किया जाए।

समता ने अपने पत्र में अनुरोध किया है कि केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग में और अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने के जो मानदण्ड एवं परिभाषा तय की गयी हैं कृपया उनका अवलोकन करें:-

(1) **अनुसूचित जाति वर्ग:-** ''किसी जाति आदि को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए अस्पृश्यता की पारम्परिक प्रथा से उत्पन्न अत्यधिक सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पिछड़ापन को मानदण्ड माना जाता है।'' इसके प्रमाण हेतु -सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र0 17020/18/2012 एस0सी0डी0 (आर0एल0सैल) दिनांक 18/06/2013 की प्रति संलग्न की गई है।

(2) **अनुसूचित जनजाति वर्ग:-** ''अनुसूचित जनजाति के रूप में समुदाय के विनिर्देशन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड हैं:-(अ) आदिम प्रवृत्तियों के संकेत, (ब)विशिष्ट संस्कृति, (स)भोगौलिक अलगाव, (द) समुदाय के साथ सम्पर्क करने में संकोच, और(य)पिछडापन।'' इसके प्रमाण हेतु -जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र0 16016/6/2011-सी एण्ड एलएल-1(राजस्थान) दिनांक 13/26 जून,2013 की प्रति संलग्न की गई है।

उपरोक्त परिभाषा और मानदण्ड से प्रकटत: स्पष्ट है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के पश्चात् उपरोक्त सभी आवश्यक तत्व समाप्त हो जाते है, विलुप्त हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकारी नौकरी पाने के बाद और अजा/अजजा के सभी अनिवार्य तत्व समाप्त/विलुप्त हो जाने के बाद भी किसी भारतीय नागरिक को हमेशा के लिए अछूत मानना, पिछडा मानना, आदिम प्रवृत्ति का मानना बेहद अमानवीय है और जातिवाद छूआछूत, पिछडापन आदि बुराइयों को अनन्तकाल तक चलाये रखने का मूल कारण है।

इसके अलावा यह भी स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अशोक कुमार ठाकुर के प्रकरण में यह बहुमत से अभिनिर्धारित किया हुआ है कि अनुच्छेद 15 के अधीन शिक्षा में आरक्षण का लाभ केवल शैक्षिक रूप से पिछड़ों को ही देय है। अनुच्छेद16(4) के अधीन नौकरियों में आरक्षण के लिए तो संविधान के इस अनुच्छेद में ही स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि यह लाभ केवल पिछड़ों को ही दिया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में सरकारी नौकरी प्राप्त अजा/अजजा के व्यक्तियों को पिछड़ापन दूर हो जाने के बाद भी जबरदस्ती पिछड़ा मानकर उन्हें पदोन्नति में आरक्षण देना तथा उनके बच्चों को शिक्षा व नौकरी में आरक्षण देना पूरी तरह असंवैधानिक है, संविधान के साथ धोखा है, समानता के मूल अधिकार का मजाक है, सत्ताधीशों और न्यायाधीशों की कायरता है।

पत्र में प्रार्थना की गई है कि सरकारी नौकरी में आ चुके अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सदियों पुरानी बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए, उन्हें अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4), 16(4)(।) के घेरे से मुक्त किया जावे। ताकि उनकी सन्तानें भी पूरे स्वाभिमान और आत्मविश्वास के साथ बिना किसी भेदभाव के देश के विकास में योगदान कर सकें।

पत्र की प्रति प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अनुसूचित जाति आयोग को भी भेजी गई है।

क्रीमिलेयर को हमारा हक छीनने से रोके: खींची

जयपुर। अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ समता आन्दोलन ने राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिख कर अनुरोध किया है कि अनुसूचित जाति के क्रीमिलेयर वर्ग को आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं के लाभ से बाहर किया जाए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा जरनैल सिंह आदि के प्रकरण में दिये गये निर्णय दि0 26.9.2018 की तत्काल पालना करवाई जावे।

पत्र में अनुरोध किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा एम. नागराज के प्रकरण में दिनांक 19.10.2006 को निर्णय दिया गया था कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को दिये जा रहे आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं के लाभ से क्रीमिलेयर वर्ग को बाहर किया जाना अति आवश्यक है अन्यथा अनुच्छेद 14,15 एवं 16 में दिया गया समानता का मूल अधिकार ध्वस्त हो जायेगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ ने जरनैल सिंह आदि के प्रकरण में दिनांक 26.09.2018 को दिये गये निर्णय में उपरोक्त एम. नागराज में दिये गये निर्णय को अनुमोदित करते हुए अनुसूचित जति एवं जनजाति वर्ग से क्रीमिलेयर को बाहर करने का पुन: बाध्यकारी आदेश दिया गया है।

उपरोक्त दोनों बाध्यकारी आदेशों की पालना अभी तक नहीं की गयी है जो दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ-साथ न्यायपालिका की अवमानना भी है। अनुसूचित जति एवं जनजाति वर्ग के 95 प्रतिशत गरीबों, पिछडे कमजोर लोगों के साथ अन्याय है।

सरकारी नौकरियाँ एवं सरकारी योजनाओं के खरबों रूपये के लाभ अजा/अजजा के केवल 5 प्रतिशत लोगों द्वारा ही हडपे जा रहे हैं शेष 95 प्रतिशत तबका वंचित एवं शोषित हो रहा है। अजा/अजजा वर्ग मे ही गरीब, पिछडें वंचित लोगों का शोषण करने वाले क्रीमिलेयर वर्ग का अर्थात् नव-शोषक वर्ग का उदय हो गया है जो जातिगत जहर भी फैला रहे हैं, जातिगत राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और 95 प्रतिशत गरीब पिछडे वंचित लोगों को गुमराह करके अपनी रोटियाँ सेक रहे है।

पत्र में प्रार्थना की गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठों द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्णयों की पालना तत्काल करवाई जावे। अजा/अजजा के 95 प्रतिशत गरीब, पिछडे, वंचित और कमजोर लोगों पर रहम करें।

पत्र की प्रति प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को भी भेज कर संविधान पीठ के निर्णय की पालना का आग्रह किया गया है।

प्रकाश के परमोत्सव की सभी को मन प्राण से बधाई और शुभकामनाएं

अध्यक्ष की कलम से

यू-ट्यूब पर 'समता आन्दोलन'

प्रिय साथियों,

किसी भी आन्दोलन का समसामयिकता के अनुसार चौकन्ना और जागरूक रहना बहुत जरूरी है। देश में जातिवाद का जहर फैलाने वालों ने सोशल मीडिया का मनचाहा दुरूपयोग किया है। दुरूपयोग शब्द का प्रयोग इसलिये किया क्योंकि तथ्यहीन बातों को इस तरह प्रस्तुत करते हैं ताकि हिंसा का माहौल बने।

इससे उल्टा हम सोशल मीडिया पर वाट्सएप ग्रुप बनाकर, फेसबुक और ट्वीटर पर संदेश भेजकर संवैधानिक तथ्यों पर जोर दे रहे है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से 'नेशनल दस्तक' नाम के एक यू-ट्यूब चैनल के माध्यम से जातिवादी लोग ऊल-जलूल बातों से देश का सौहार्द्र बिगाड़ने का प्रयास कर रहे है।

समय और परिस्थितियों के अनुसार अब हमने भी यू-ट्यूब पर ही एक चैनल शुरू करने के निर्णय पर काम शुरू कर दिया है। चैनल का नाम ''समता आन्दोलन'' ही रखा गया है। इस चैनल पर शीघ्र ही संविधानिक शुचिता की धारा बहने लगेगी। हम हिंसा में विश्वास नहीं करते क्योंकि हमारे पास तथ्य हैं। जिनके पास कहने को कुछ नहीं होता वे कल्पना और भ्रम का घटाटोप रचकर स्वयम् को सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को सच का आईना दिखायेगा हमारा यू-ट्यूब चैनल ''समता आन्दोलन''

समता आन्दोलन के प्रत्येक सदस्य का आह्वान है कि वे यू-ट्यूब के ''समता आन्दोलन'' चैनल लिंक को अधिक से अधिक मात्रा में शोशल मीडिया में शेयर और संचारित करके भारत देश की सेवा में भागीदार बनें।

सम्पादकीय

'घनात्मक बनाम ऋणात्मक'

जात आधारित आरक्षण भारत का ऐसा सच बन चुका है जो बार-बार अभिशाप सिद्ध हो रहा है लेकिन कथित राजनेता और उनके दल इसको वरदान मानकर अपना घर भरने को देशप्रेम मानते हैं। आज देशद्रोह की परिभाषा बदल चुकी है। हर वो व्यक्ति और विचार जो तथ्यों पर आधारित है उसे देशद्रोह की श्रेणी में रख दिया गया है।

बहुत कम संभव है कि कोई इन्सान अपने भीतर की बात मानकर सच के रास्ते पर चलना चाहता हो। यदि है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाकर तिरस्कार ही झेलना पड़ता है। कहीं न कहीं बहुत कुछ, शायद सभी कुछ बदल दिये जाने का षड़यंत्र अब आभासित होने के बजाय साफ दिखाई देने लगा है। फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं है। इतिहास का ये कथन- एक झूठ को सौ बार बोला जाये तो वह सच दिखाई देने लगता है- अब अक्षरश: सच प्रतीत हो रहा है।

इन हालातों में एक और नयी बात जो शायद किसी देश के लिए सबसे खतरनाक हो सकती हैं, वो ये जुड़ गई है कि धनात्मक सोच की परिभाषा बदली जा रही है। अब ये एक दम साफ प्रतीत होता है कि देश में धनात्मकता को जड़मूल समाप्त कर देने की कोई हिंसक शैली विकसित हो चुकी है जिसमें सच को झूठ बताना ऋणात्मक सोच (नगेटिव थिंकिंग) नहीं है वरन् झूठ को सच नहीं मानना ऋणात्मक सोच माना जाने लगा है। दूसरी तरफ स्वयम् इस हिंसक शैली को नहीं पता है कि कोई धनात्मक सोच भी हुआ करती थी या है।

धनात्मक सोच का पहला लक्षण होता है कि वो भविष्य में झांक सकती है। जबकि, ऋणात्मक सोच केवल भूतलक्षी होकर वर्तमान को अपने वश में रखना चाहती है। यही ऋणात्मकता आज के जातिवादी आरक्षण का सच है और तथ्य भी। संत्री से लेकर मंत्री ही नहीं, उससे आगे तक भी बार-बार दोहराया जाता है कि हजारों सालों तक कथित दलितों को दलित बनाये रखने का प्रयास, उच्च वर्ण के लोगों ने किया। अत: अब जो भी किया जा रहा है वह उसे सुधारने की प्रक्रिया है। यह एक भयानक ऋणात्मक सोच है जो ''आर्टिकल-15'' के मूल भाव को बदलकर 'बदले के भाव' के रूप में स्थापित कर देती है। इन हालातों में मौत और अत्याचार तक जात के दायरे में सिमट गया है।

मीडिया के नाम पर जो नया ही ब्लैकमेलिंग तंत्र इलैक्ट्रॉनिक मीडिया रच चुका है वह इतना शोर मचाता है कि सच और तथ्य सहमकर दुबक जाते हैं और ऋणात्मकता ही धनात्मकता दिखाई देने लगती है। सबको पता है, सब देख रहे हैं, सब भोग रहे हैं लेकिन कोई भी आगे बढ़कर बिल्ली के गले में घंटी बांधने को तैयार नहीं है। बल्कि हालात तो ये है कि बिल्ली खुद अपने गले में घंटी बांधकर घूम रही है ओर चूहों को निर्देश है कि वे घंटी की आवाज सुनकर भी बिल में न घुसें अन्यथा परिणाम बुरे से भी अधिक बुरे होंगे।

संविधान नाम की जो किताब थी वो बना तो दी गई लेकिन उसे पढ़ने का तरीका निर्धारित नहीं किया जाने के कारण जिसे जैसा अच्छा लगा वो वैसा ही पढ़ता चला गया। परिणाम सबके सामने है। जिसे संविधान पर विश्वास और आस्था है वो बार-बार उन लोगों से हारता और प्रताड़ित होता है जिन्हें अपने स्वार्थ से ऊपर किसी संविधान की जानकारी नहीं है। कम से कम जाति आरक्षण के लिए तो यह कहा ही जा सकता है कि देश , जी हाँ भारत देश संविधान से नहीं भगवान की कृपा से चल रहा है। अब इसे सुखद कहें या दुखद लेकिन मान लिया गया है कि स्वयम् संविधान ही एक ऋणात्मक सोच है। इन हालातों में आने वाला कल भयभीत करता है। सच में भयभीत करता है।

जय समता।

योगेश्वर झाड़सरिया

समता स्तम्भ योजना

(SAMTA PILLAR SCHEME)

सभी समतावादी बन्धुओं से निवेदन है कि पिछले दो-तीन वर्षों से विचाराधीन ''समता स्तम्भ योजना'' (SAMTA PILLAR SCHEME) दिनांक 13.10.2019 तिथि शरदपूर्णिमा को दोपहर दो बजे से शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य समता आन्दोलन को मजबूत बनाना, स्थाई बनाना जनजागरण के जरिये आम नागरिक को ये बताना कि समता आन्दोलन केवल पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करवाने का ही संगठन नहीं है वरन् पूरे देश की दशा और दिशा बदलने वाला स्थाई संगठन है।

समता स्तम्भ योजना में अगले एक वर्ष में कम से कम 250 समता स्तम्भ (SAMTA PILLAR) बनाने का लक्ष्य रखा गया। समता स्तम्भ का प्रमाण पत्र और आई0डी0 कार्ड उन्हें जारी किया जावेगा जो -

(1) समता आन्दोलन के कम से कम 101 सक्रीय सदस्य (रू. 1100/- प्रत्येक) बनायेगा। या

(2) समता आन्दोलन के कम से कम 1100 सदभावी सदस्य (रू. 100/- प्रत्येक) बनायेगा।

समता स्तम्भों की प्रतिवर्ष एक बैठक की जावेगी। समता की नीतियों ओर गतिविधियों की व्यक्तिगत जानकारी दी जावेगी। समता आन्दोलन के विभिन्न पदों पर नियुक्ति में भी उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी। वेबसाईट पर इनका पूरा-पूरा विवरण चित्र सहित अपलोड़ किया जावेगा। सभी समतावादी साथियों से आग्रह है कि उपरोक्त 250 समता स्तम्भों का लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा करवाने की कृपा करें।

समता स्तम्भ योजना (SAMTA PILLAR SCHEME) के सुसंचालन एवं नियत्रित गवर्नेन्स के लिए समता स्तम्भ योजना प्रभारी के पद पर सेवानिवृत्त अधिशाषी अभियंता श्री बी0एम0 शर्मा (मो0- 93149350164) को नियुक्त किया गया है। कृपया समता स्तम्भ योजना में सक्रीय होने वाले सभी समतावादी योजना प्रभारी श्री बी0एम0 शर्मा से लगातार सम्पर्क बनाये रखे। सादर।

निवेदक

पाराशर नारायण शर्मा

जयपुर। हाल पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने का बीज बोने वाले एम नागराज जयपुर प्रवास पर आये। इनके द्वारा जीते गये 5 सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले को लेकर ही समता आन्दोलन सबसे पहले आगे बढ़ा और पूरे देश को झकझोर कर जगा दिया। उनसे मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिये पाराशर नारायण शर्मा ने चार सदस्यीय प्रतिनिधी मंडल के साथ वर्धमान भवन में अनौपचारिक बैठक की।

दोनों संघर्षचेता व्यक्तियों ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे पदोन्नति में आरक्षण सम्बंधी केसों पर जजों के मनमाने व्यवहार पर चिंता और क्षोम प्रकट किया। प्रतिनिधी, मंडल में योगेन्द्र मेघसर, दिपक सिंघल और योगेश्वर शर्मा शामिल रहे।

छत्तीसगढ़ में अब एसटी-एससी वर्ग को पदोन्नति में भी आरक्षण

छत्तीसगढ़ में अब सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में भी आरक्षण नियम लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया। सरकार ने राज्य स्तरीय सेवा भर्ती के पदों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियमों में भी संशोधन करने का निर्णय लिया है।

संविधान संशोधन के लिए संसद में व्हिप (whip) जारी किया जाना असंवैधानिक

व्हिप को लेकर सुब्रहमण्यम स्वामी से मिलने का समय मांगा

जयपुर। राज्यसभा सांसद सुब्रहमण्यम स्वामी को समता आन्दोलन ने पत्र लिखकर संविधान संशोधन के लिए संसद में व्हिप (whip) जारी किया जाना असंवैधानिक है के संबंध में मिलने के लिए समय मांगा है।

पत्र में लिखा गया है कि हम एक राष्ट्रवादी गैरराजनैतिक संगठन हैं जो अपने देश को सभी बुराईयों से मुक्त करवाकर श्रेष्ठ देश बनाने के लिए प्रयासरत हैं। इस दिशा में सर्वप्रथम हमने जातिवादी राजनीति को समाप्त करवाने के लिए इसके मूल कारण जाति आधारित आरक्षण के विरूद्ध अभियान चलाया है। जिसे हम प्रजातांत्रिक रूप से जनजागरण लाकर और संवैधानिक रूप से याचिका दायर करके आगे बढ़ा रहे हैं। इस क्रम में आप श्रीमान् का आशीर्वाद पाने के लिए चर्चा करना चाहते हैं ।

पत्र में अनुरोध किया गया कि संविधान संशोधन के लिए संसद में व्हिप (whip) जारी किया जाना असंवैधानिक है। इस विषय पर हमारे द्वारा दायर याचिका एवं एसएलपी इस कारण से नहीं सुनी गई कि हमारी याचिका में कोई वर्तमान सांसद याचिकाकर्ता नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय में हमारी ओर से लगभग 2 घण्टे तक बहस आदरणीय श्रीमान् के. के. वेणुगोपाल साहेब तथा आदरणीय श्रीमान् गोपाल सुब्रहमण्यम साहेब ने पूरी तरह नि:शुल्क की थी। इस याचिका का प्रभाव अन्य संशोधनों के अलावा हर दस वर्ष बाद आरक्षण को दस वर्ष के लिए बढ़ाने वाले संविधान संशोधन पर भी होना निश्चित है। आप जब भी समय दें हम दिल्ली आने को तैयार हैं।

पौराणिक कथन : '' केदारनाथ ''

बद्रीकाश्रम से 101 मील दक्षिण में स्थित ज्योतिर्गि। इसके पर्वत शिखर पर ब्रह्म गुफा है। इसी के बायीं तरफ ''महापथ'' से पाण्डव स्वर्ग गये थे।

विश्वासों के घाट ठहरती,
उजली सांसों की जलधारा।
सब के हाथों थी पतवारें,
हमें न उनने पार उतारा ।।

कविता

" समय नहीं अब बैठके सोचे "

हम कविता और गीत सुनाकर
कब तक खुद को बहलायेंगे।
उठो पलटकर भाग्य बदल दो,
नहीं तो कायर कहलायेंगे।।
आओ मुठ्ठी तान के बोलो,
अपने मन के ताले खोलो।
सडकों से संसद तक चलकर-
भुजदण्डों की शक्ति तोलो।
समय नहीं अब बैठके सोचें-
खड़े हुए तो बच पायेंगे.....।
नीति और नैतिकता लेकर,
बार-बार खुद को रोका है।
संतोषी को सब मिलता है,
कदम कदम निज को टोका है।
पंख खोलकर उड़ना होगा,
नहीं तो घुटकर मर जायेंगे।
नेता बस नौटंकी करते,
हम आंसू के प्याले भरते।
कैसा ये असमंजस देखो,
मरे हुए मरने से डरते।
सत्तर सालों खूब सहा है-
अब न तनिक चुप रह पायेंगे.....।
कैसी माता कैसा भैया,
लोकनीति अब सिर्फ रूपैया।
खोलो अपनी नाव के लंगर,
और बन जाओ स्वयम् खिवैया।
दौड़ो हे पुरूषार्थ पुत्र अब-
भाग्य छीनकर ही आयेंगे....।।
हम कविता और गीत सुनाकर
कब तक खुद को बहलायेंगे।
उठो पलटकर भाग्य बदल दो,
नहीं तों कायर बहलायेंगे।।

-- श्रीयोगी --

एक वैधानिक राय

गतांग से आगे:-

एक वैधानिक राय

हर निर्णय के बाद राजनीतिक वर्ग की चीख और भी तेज होती रही। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करने के लिए सरकार ने अपने निर्देशों को वापस लेने का आश्वासन दिया। इस संबंध में उसने अपने सर्वोच्च विधिक अधिकारी का परामर्श लिया, जिसमें उसे बताया गया कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को मानने के लिए बाध्य है। साथ ही, यह भी बताया गया कि यदि निर्देशों के विपरीत चलना है तो संविधान में संशोधन द्वारा ही ऐसा संभव है, यद्यपि संविधान संशोधन को भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और फिर इसके साथ ही यह सुझाव दिया गया-

संविधान में किए जानेवाले किसी संशोधन पर अनुच्छेद 16 के एक प्रावधान अथवा उप-अनुच्छेद के रूप में विचार करने की बजाय अनुच्छेद 335 के एक प्रावधान के रूप में विचार किया जा सकता है। इसमें सरकार यह दावा करने में सक्षम हो जाएगी कि संविधान संशोधन से समानता के मौलिक सिद्धांत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और प्रशासन की कुशलता अथवा गुणवत्ता से संबंधित अनुच्छेद में तदनुरूप और उपयुक्त संशोधन किया जा रहा है तथा इस प्रकार, संविधान के मूल ढाँचे का कोई भी हिस्सा नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त नहीं हो रहा है।

मेरा खयाल है कि यह माननीय न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं को ही मालूम होगा कि जो प्रावधान अनुच्छेद 16 में रखे जाने पर संविधान के मूल ढ़ाँचे के लिए खतरनाक है, वह अनुच्छेद 335 में रख दिए जाने पर किस प्रकार खतरनाक नहीं हो सकता।

उपर्युक्त वैधानिक परामर्श में एक प्रावधान सुझाया गया था, जिसे राजनीतिक वर्ग ने और भी व्यापक बना दिया तथा इस प्रकार, संविधान में 82वीं बार संशोधन कर दिया गया।

इस संशोधन के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 335 में एक और प्रावधान जोड़ दिया गया-

बशर्ते इस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा/सेवाओं अथवा पद/पदों के मामले में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करने अथवा किसी परीक्षा में अर्हता अंक में ढील दिए जाने के संबंध में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के पक्ष में कोई प्रावधान करने से नहीं रोका जा सकता।

अर्थात् किसी सेवा अथवा पद-श्रेणी पर पदोन्नति के मामले में अर्हता अंक कम कर दिए जाएँगे और मानदंडों का स्तर गिरा दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद यह दावा जारी है कि प्रशासन की गुणवत्ता सर्वोपरि है। और प्रधानमंत्री प्रशासनिक सुधार की घोषणा करते रहते है।

> यदि यह नियम और प्रक्रिया लागू नहीं किए जाते तो परिणाम यह होगा कि उच्च ग्रेड के अधिकांश पद उन व्यक्तियों के अधीन हो जाएँगे, जिन्हें आरक्षण और रोस्टर सिस्टम के चलते सेवा में प्रवेश मिला है और इसी आरक्षण एवं रोस्टर सिस्टम के कारण ही सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को सामान्य श्रेणी के लिए ही निर्धारित पदों पर पदोन्नति प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 16(4) अथवा 335 से सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा।

एक और बाँध टूटा

रही-सही कसर आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य मामले में पूरी कर दी गई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि यद्यपि रोस्टर सिस्टम (Roster System) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को पदोन्नति दी जाएगी, लेकिन वरिष्ठता के संदर्भ में वे अपने सहकर्मियों से ऊपर नहीं होंगे। अभिप्राय यह है कि रोस्टर सिस्टम के चलते यदि कोई कर्मचारी 'अ' स्वयं से तीन वर्ष वरिष्ठ कर्मचारी 'ब' के ऊपर पहुँच जाता है तो 'ब' जब अपने सामान्य पदोन्नति क्रम में पदोन्नति प्राप्त करेगा तो उसे पहले पदोन्नति प्राप्त 'अ' पर अपनी तीन वर्ष की वरिष्ठता पुन: मिल जाएगी।

कई मामलों में यह एक निर्णायक नियम बन गया, जिसमें यदि कोई कर्मचारी 'क' अपने सहकर्मी 'ख' से ऊपर पहुँच जाने पर दावा करने लगता था कि अमुक उच्च पद पर उसने ज्यादा समय तक कार्य किया है। अत: उसे 'ख' कर्मचारी-जो अपने सामान्य पदोन्नति क्रम में बाद में पदोन्नत हुआ-से पहले अगले उच्च पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकार है।

इस प्रकार उपर्युक्त 'क' कर्मचारी कई बार सामान्य श्रेणी के पदों पर भी दावा करने लगता था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सामान्य श्रेणी के पदों में योग्यता और वरिष्ठता को मानदंड माना जाएगा।

परिणामी वरिष्ठता को सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार संविधान का उल्लंघन बताया। उसने कहा कि रोस्टर सिस्टम अथवा पदोन्नति में आरक्षण के चलते जिन्हें पदोन्नति मिल जाती है, वे वरिष्ठता के मामले में अपने सामान्य श्रेणी के सहकर्मियों से आगे नहीं होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इन प्रावधानों के चलते कोई अधिकारी 'अ' सामान्य श्रेणी के अधिकारी 'ब'-जो 'अ' से वरिष्ठ है-से आगे निकलकर उच्च ग्रेड अथवा स्तर पर पहुँच सकता है; लेकिन जब सामान्य श्रेणी के अधिकारी 'ब' सामान्य पदोन्नति क्रम में उस ग्रेड पर पहुँच जाएगा तो उसे उसकी वरिष्ठता पुन: मिल जाएगी।

इन्हीं सब कारणों से वीरपाल सिंह चौहान मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "आरक्षण श्रेणी और सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थियों के बीच वरिष्ठता का निर्धारण उनके पूर्व(निम्न) ग्रेड के अनुसार चलती रहेती। आरक्षण का नियम पदोन्नि दे सकता है, लेकिन इससे 'परिणामी वरिष्ठता' नहीं मिलती।"

अत: -

उच्च ग्रेड में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित किसी पद को भरने का प्रश्न जब भी उठता है तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यार्थियों को पहले पदोन्नति दी जाएगी; लेकिन जब सामान्य श्रेणी के किसी पद के मामले में पदोन्नति की बात आती है तो सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थी को ही वरिष्ठ माना जाएगा, जिसे बाद में पदोन्नति दी गई होगी, और वरिष्ठता-सह-योग्यता अथवा योग्यता-सह-वरिष्ठता किसी भी सिद्धांत के आधार पर उसकी उम्मीदवारी पर पहले विचार किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इस तरह का कोई अन्य कानून संविधान के अनुच्छेद 16 और 16(1) का उल्लंघन होगा। उसने कहा कि-

यदि यह नियम और प्रक्रिया लागू नहीं किए जाते तो परिणाम यह होगा कि उच्च ग्रेड के अधिकांश पद उन व्यक्तियों के अधीन हो जाएँगे, जिन्हें आरक्षण और रोस्टर सिस्टम के चलते सेवा में प्रवेश मिला है और इसी आरक्षण एवं रोस्टर सिस्टम के कारण ही सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को सामान्य श्रेणी के लिए ही निर्धारित पदों पर पदोन्नति प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 16(4) अथवा 335 से सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा।

अजित सिंह (द्वितीय)बनाम पंजाब राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर इस प्रकार के कानून को संविधान का उल्लंघन बताया। बाद में राम प्रसाद बनाम डी.के.विजय मामले में उसने पुन: यही निर्णय दोहराया। उसके बाद जतिंदर पाल सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में भी वह इसी निर्णय पर कायम रहा। उसके बाद भी सूबे सिंह बहमनी बनाम हरियाणा राज्य मामले, उसने फिर से यही निर्णय दोहराया।

कई राज्य सरकारें सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय की अवहेलना करती रहीं। परिणामस्वरूप वर्ष 2000 में मामला एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचा। इस बार भी उसने यही निर्णय दिया कि पदोन्नति के आधार पर वरिष्ठता देना संविधान का उल्लंघन है-इससे संविधान के मूल सिद्धांत का जितना उल्लंघन होता है उतना ही उल्लंघन सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों के समानता के अधिकार का भी होता है।

... शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

सामान्य श्रेणी के 18 पदों में से 13 पदों पर आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थी काबिज

सामान्य श्रेणी के युवाओं का खाकी पहनने का सपना हुआ धराशायी, व्यवस्था पर उठे सवाल

ऊना, 14 अक्टूबर(सुरेन्द्र शर्मा): हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद पर भर्ती होने का सपना देख रहे सामान्य श्रेणी के युवाओं का सपना धराशायी हो गया है। जिला ऊना में पुरूष कांस्टेबल के 63, महिला कांस्टेबल के 18 तथा ड्राइवर कांस्टेबल के 11 पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न की गई। लंबी प्रक्रिया के बाद इसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। पहले ग्राउंड टैस्ट, फिर लिखित परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार जैसी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद यह भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई है। 11 अक्टूबर को घोषित हुए कांस्टेबल के परीक्षा परिणाम ने हर किसी को हैरान कर दिया है। खासकर अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों पर वज्रपात हुआ है। सामान्य श्रेणी यानी अनारक्षित कांस्टेबल के 18 पदों पर जो प्रक्रिया मुकम्मल हुई, उसमें केवल 5 ही सामान्य श्रेणी यानी अनारक्षित श्रेणी के युवाओं को पुलिस में कांस्टेबल बनने का मौका मिला है। सामान्य श्रेणी में भी 13 पदों पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यार्थियों ने मोर्चा मारा है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों को सामान्य श्रेणी में शामिल कर लिया गया, जिसकी वजह से अनारक्षित वर्ग यानी सामान्य श्रेणी के युवाओं को पीछे धकेल दिया गया।

भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठने लगे सवाल

पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर अब सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि पूरी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया गया। साक्षात्कार के लिए डी.आई.जी. के अतिरिक्त 2 आई.पी.एस. अधिकारी तथा एक एच.पी.एस. अधिकारी का पैनल बनाया गया था। इसी पैनल ने साक्षात्कार लेकर अंकों के आधार पर नतीजे घोषित किए हैं। नतीजे घोषित करने के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों में काफी निराशा है।

बड़ी बात यह है कि अपनी कैटेगरी में आवेदन करने के बावजूद उच्च अंको के आधार पर अभ्यार्थियों को अनारक्षित श्रेणी में शामिल कर दिया गया।

इसकी वजह से सामान्य श्रेणी के अनारक्षित 18 पदों में अधिकतर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित हो गए। इससे 18 अनारक्षित पदों पर भी प्रभाव पड़ा तो अनारक्षित वर्ग से कम अंक लेने वाले अभ्यर्थी अपनी श्रेणी में ऊपर तक यानी मैरिट की सीमा तक पहुंच गए। यानी दोनों तरफ आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों को लाभ पहुंचा है।

''नियमों मे तहत ऊना में पुलिस भर्ती प्रक्रिया संपन्न की गई है। इंटरव्यू के लिए पैनल गठित हुआ था और पैनल के नियमों को आधार बनाकर ही अंक दिए हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं बरता गया है। कौन किस श्रेणी में आया, इसका इंटरव्यू पैनल ने आकलन नहीं किया है।

-डीआईजी नार्दर्न रेंज

साक्षात्कार प्रक्रिया क्यों खत्म नहीं की जा रही

पुरूष कांस्टेबल के सामान्य श्रेणी के 18 पदों से जो 13 आरक्षित वर्गों से चयनित हुए हैं, उनमें 3 अनुसूचित जनजाति वर्ग से तो 8 पद ओ.बी.सी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के भरे गए हैं। सवाल यह भी है कि जब देश या प्रदेश में भी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया खत्म कर दी गई है तो आखिर पुलिस की भर्ती से इसे क्यों नहीं हटाया गया है। पुलिस की भर्ती के लिए अभी भी इंटरव्यू की प्रक्रिया से अभ्यर्थियों को गुजरना पड़ता है। इसके लिए पैनल द्वारा अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व और अनुभव का आकलन कर अंक दिए जाते है। इंटरव्यू लेने वाला पैनल किसी भी अभ्यर्थी को अधिक अंक देकर उसकी योग्यता के अनुसार अभ्यर्थी का स्थान आगे पीछे कर सकता है।

अपनी कैटेगरी में आवेदन वालों को सामान्य श्रेणी में क्यों किया शामिल

सवाल यह भी है कि जब किसी अभ्यर्थी ने अपनी कैटेगरी में आवेदन किया है और वह उसी के तहत पात्र है तो बाद में उसे सामान्य श्रेणी में शामिल क्यों किया जा रहा है। इसको लेकर नियम स्पष्ट नहीं है। इसका फायदा उन लोगों को मिल रहा है जो अपनी कैटेगरी में आवेदन करते हैं और उच्च अंकों के आधार पर सामान्य श्रेणी में भी स्थान पा लेते हैं। यही प्रक्रिया सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थियों के लिए बड़ी बाधा बनी है।

पिछड़े सवर्णों को तोहफा

10 प्रतिशत आरक्षण में भूमि-भवन का प्रावधान खत्म

सिर्फ 8 लाख तक की आय का प्रमाण पत्र देना होगा

प्रदेश में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों (ईडब्ल्यूएस) को देय 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए अब परिवार की कुल वार्षिक आय अधिकतम 8 लाख रूपए ही एक मात्र आधार मानी जाएगी। इसमें संपत्ति संबंधित प्रावधानों को राज्य सरकार ने समाप्त करने का निर्णय किया है।

राज्य सरकार के इस निर्णय से सामान्य वर्ग के उस बड़े हिस्से को आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो संपत्ति प्रावधनों के चलते आरक्षण के दायरे से बाहर हो रहे थे और उनके ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे थे। सीएम अशोक गहलोत के इस निर्णय से ईडब्ल्यूएस आरक्षण की जटिलता समाप्त होगी और लोगों को ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आसानी होगी। राज्य सरकार इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी। केंद्रीय भर्तियों में राज्य के निवासियों के लिए पात्रता मापदंड पूर्ववत रहेंगे।

यह थी आरक्षण में दिक्कत

पांच एकड़ और इससे अधिक की कृषि भूमि,, एक हजार वर्ग फुट या इससे अधिक का आवासीय फ्लेट, अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्गगज या इससे अधिक का भूखंड, अधिसूचित नगर पालिकाओं से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या इससे अधिक के भूखंड नहीं होने चाहिए। तभी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फायदा मिलता। दिक्कत ये आ रही थी कि आवेदन के बाद ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिससे आवेदन में अंकित संपत्ति की सत्यता की जांच कर सके। इससे ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे थे। अब राज्य सरकार ने संपत्ति से जुड़े समस्त प्रावधान ही समाप्त कर दिए।

समता मत

समता आन्दोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उनके अनुसार हम मूल मानदण्ड ओबीसी में लागू करवाने के लिए प्रयासरत है। ये फैसला वास्तविक गरीबों और पिछड़ों के खिलाफ है। जो वर्तमान सरकार की जाति व धर्म आधारित कुण्ठित राजनीति का हिस्सा है।

अपील

''समता प्रकाश'' स्मारिका हेतु विज्ञापन

समता आन्दोलन भारत का सबसे बडा समतावादी गैर-राजनेतिक संगठन है, जो एक दशक से भारतीय संविधान के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करवाने, सभी नागरिकों को समानता का मूल अधिकार दिलाने,जातिवाद-सम्प्रदायवाद, भ्रष्टाचार आदि बुराइयों से देश को मुक्त कराने के लिए सभी संवैधानिक प्रयासों को अपनाते हुये प्रजातांत्रिक रूप से क्रियाशील है। समता आन्दोलन न केवल राजस्थान अपितु उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडू आदि प्रदेशों में भी जाति आधारित व्यवस्था से अलग समता मूलक समाज की संरचना के लिए काम कर रहा है।

समता आन्दोलन समिति अपनी स्थापना के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में अपनी प्रथम स्मारिका ''समता प्रकाश'' का प्रकाशन करने जा रही है। इस स्मारिका में आरक्षण एवं समतावादी अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी, न्यायिक निर्णयों की जानकारी तथा समता आन्दोलन की 11 वर्षों की गतिविधियों की जानकारी समाहित की जावेगी। इस स्मारिका को राजस्थान सहित कुल 10 राज्यों में 5000 से अधिक प्रतिष्ठित एवं सम्भ्रांत व्यक्तियों को भेजा जावेगा। इस स्मारिका को समता आन्दोलन की वेबसाइट जिसको देखने वालों की संख्या (viewership) 5.00 लाख से अधिक हो चुकी है, पर भी स्थाई रूप से अपलोड किया जावेगा। आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारी प्रथम स्मारिका ''समता प्रकाश'' के लिए अपनी फर्म/ कम्पनी/संस्थान का विज्ञापन देने का अनुग्रह करे। विज्ञापन दरें इस प्रकार है:-

1	मुख्य कवर का पृष्ठ भाग एवं अन्तिम कवर का बाह्य भागरू.	2,50,000/-
2	अन्तिम कवर का अन्दरूनी भाग रू.	1,50,000/-
3	स्मारिका के अन्दर चिकना पूरा पृष्ठ रू.	1,00,000/-
4	स्मारिका के अन्दर चिकना आधा पृष्ठ रू.	50,000/-
5	स्मारिका के अन्दर चिकना चौथाई पृष्ठ रू.	30,000/-
6	स्मारिका के अन्दर सामान्य पूरा पृष्ठ रू.	50,000/-
7	स्मारिका के अन्दर सामान्य आधा पृष्ठ रू.	25,000/-
8	स्मारिका के अन्दर सामान्य चौथाई पृष्ठ रू.	15,000/-

स्मारिका का आकार ए-4 निर्धारित किया गया है

विज्ञापन एवं विज्ञापन सामग्री के प्रारूप हेतु हमारे प्रान्तीय कार्यालय ''जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नम्बर 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर जयपुर या पी.एन.शर्मा, जयपुर मोबाइल नम्बर 9460385722, कैप्टन गुरविन्दर सिंह, नई दिल्ली मो.न. 9999555726, धर्मवीर सिंह, हरियाणा मो.न. 9355084877, गिरजेश शर्मा, उत्तर प्रदेश 9412445629, धीरज जे. पंचाल, गुजरात मो.न. 9428600409, अशोक शर्मा, मध्यप्रदेश मो.न. 7552576022, वैंकटरमण कृष्णमूर्ति, कर्नाटक मो.न.9538966339, श्रीराम पंसारी, चण्डीगढ मो.न. 9876127663, सी.एम.डिमरी, उत्तराखण्ड मो.न. 9411103390, संजीव शुक्ला, मुम्बई मो.न. 9821390321 या ई-मेल samtaprakash2019@gmail. com पर सम्पर्क कर सकते है। **कृपया चैक/ड्राफ्ट समता आन्दोलन समिति के नाम बनवायें।**

हमें विश्वास है कि आपका दिया हुआ विज्ञापन इस राष्ट्रवादी समता आन्दोलन द्वारा चलाये जा रहे समता मूलक समाज की संरचना के सफल प्रयासों में सहयोग का कार्य करेगा।

छत्तीसगढ सरकार :: नई अधिसूचना

अब सरकारी टेबल-कुसी खरीदी में आरक्षण, देखेंगे विक्रेता की जाति

बिलासपुर- सरकारी विभागों में यदि टेबल कुर्सी सहित अन्य सामानों की खरीदी करनी है तो इसमें भी आरक्षण जैसी व्यवस्था लागू कर दी गई है। जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार शासकीय विभागों में जरूरत के सामानों की खरीदी करने में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा लघु उद्योग स्थापित किए गए है, उन औद्योगिक इकाईयों से ही अनिवार्य: सामग्रियां क्रय किया जावे। राज्य सरकार ने शासकीय खदीदी के लिए जेम पोर्टल के अलावा छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन का नया पोर्टल बनाया गया है। इस ऑनलाइन पोर्टल से शासकीय विभाग सीधे क्रय कर सकेंगे। संशोधित नियम 1 अक्टूबर से लागू हो गया है।

संशोधन में आरक्षण जोड़ा गया

शासकीय विभागों में सामानों की खरीदी के नियम 13 के वर्तमान प्रावधान को संशोधित और जोड़ा गया है। इसमें सामग्री क्रय करने वाले शासकीय विभाग का यह दायित्व होगा कि सामग्री क्रय करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि किन्ही सामग्रियों का उत्पादन प्रदेश में स्थापित लघु उद्योग, अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग द्वारा किया जाता है तो मूल्य एवं गुणवत्ता औचित्यपूर्ण होने तथा इकाई की पंजीकृत उत्पादन क्षमता की सीमा में होने की दशा में ऐसे उद्योगों सेअनिवार्यत: कार्यवाही की जाए। यह आदेश वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के विशेष सचिव वी के छबलानी ने जारी किया है।

समता आन्दोलन के सदस्यों से निवेदन है कि समता ज्योति आपका अपना अखबार है। इसमें प्रकाशित करने के लिए अपने विचार, कविता, समाचार, आदि-आदि मुख पृष्ठ पर दिये ई-मेल पते पर या डाक से भेजे।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in